कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान पुलिस, जयपुर

कमांक :– प.6 (14) पु0अ0/म0अ0/रा0बा0अ0स0/14/ 732–800 दिनांक 30-1-2014

परिपत्र

विषयः– पुलिस के सम्पर्क में आने वाले विधि से संघर्षरत किशोर एवं संदिग्ध अभियुक्त के अवयस्क होने की संभावना के क्रम में उनके उम्र निर्धारण एवं अन्य कार्यवाही बाबत्।

विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए विशेष अधिनियम के रूप में किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 कियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 लागू किये गये है। विधि से संघर्षरत किशोर/बच्चों के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई अधिनियम एवं संगत नियमों के अनुरूप ही की जानी आवश्यक है।

विगत कुछ समय में किसी स्थापित विधि का उल्लघंन करने वाले बच्चों (विधि से संघर्षरत किशोर) की शारीरिक बनावट को ध्यान में रखकर अथवा बोर्डर लाईन प्रकरणों में संदिग्ध अभियुक्त की उम्र के संबंध में जानकारी के अभाव में वयस्क के रूप में देखते हुए उन्हें संबंधित न्यायालय की अनुमति से जेल भेजे जाने के प्रकरण सामने आये है, जो कि न्याय संगत नहीं है। विधि से संघर्षरत किशोर के वयस्क हेतु निर्धारित आपराधिक न्यायिक प्रकिया के सम्पर्क में आ जाने से किशोर में सुधार एवं उसको समाज की मुख्य धारा में जोडने की प्रकिया पर वितरीत असर पडता है, जो कि किशोर न्याय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सिविल रिट पिटिशन संख्या 8889/2011 में गम्भीरता से लिया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई 2012 को पारित आदेश में विधि से संघर्षरत बच्चों एवं अस्पष्ट आयु के अभियुक्तों के संबंध में पुलिस तथा अन्य सभी संबंधितों के लिए विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किये गये है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किमीनल अपील संख्या 1209/2010 में दिनांक 01 जुलाई 2013 को बच्चों के उम्र निर्धारण के संबंध में आदेश पारित किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किमीनल अपील संख्या 763/2003 में दिनांक 10 जुलाई 2013 को पारित आदेश में पुलिस के सम्पर्क में आने वाले बच्चों के संबंध में पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त पुलिस थानाधिकारियों/बाल कल्याण अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों द्वारा उनके सम्पर्क में आने वाले बच्चे/विधि से संघर्षरत किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के अवयस्क होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी:–

1. पुलिस के सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक विधि से संघर्षरत किशोर/संदिग्ध अभियुक्त (खासतौर पर 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति) के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के उम्र संबंधी दस्तावेज तथा अन्य माध्यमों से सुनिश्चित किया जायेगा कि उसने यह अपराध 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में तो नहीं किया है। इसकी सुनिश्चितता के उपरान्त ही संदिग्ध अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही एवं सक्षम प्राधिकारी (किशोर न्याय बोर्ड अथवा संबंधित न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

27.

2. संबंधित पुलिस/अनुसंधान अधिकारी, किशोर/संदिग्ध अभियुक्त की सही उम्र की पुष्टी हेतु राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 12 के कम में किशोर/संदिग्ध अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा जिसमें मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय में प्रथम दाखिले में अंकित आयु के संबंध में संबंधित विद्यालय से आयु संबंधी जानकारी अथवा किशोर के जन्म संबंधी जानकारी में स्थानीय निकाय से पंजीकृत होने अथवा जन्म प्रमाण–पत्र की प्रति प्राप्त करेंगे। किशोर के उम्र निर्धारण के संबंध में किये गये प्रयासों का विवरण संबंधित केस पत्रवली पर लिखा जायेगा।

3. संबंधित पुलिस/अनुसंधान अधिकारी, किसी भी स्थिति में पुलिस स्वयं के स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किशोर/संदिग्ध अभियुक्त का उम्र निर्धारण हेतु चिकित्सीय जांच नहीं करवायेगा।

4. यदि संदिग्ध अभियुक्त स्वयं को अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र का होना बताता है एवं उसके पास इसके संबंध में तत्काल आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा जांच अधिकारी के लिए 24 घण्टे के अन्दर दस्तावेज इकट्ठा करना संभव नहीं है तो वह संधिग्ध अभियुक्त को उम्र में संदेह का लाभ देते हुए संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य (सक्षम प्राधिकारी) के समक्ष ही प्रस्तुत करेगा तथा उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय मागेगा।

5. संबंधित पुलिस/अनुसंधान अधिकारी, किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र/ विद्यालय में प्रथम दाखिले में अंकित आयु/किशोर के जन्म प्रमाण–पत्र के अभाव में सक्षम प्राधिकारी (किशोर न्याय बोर्ड के प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य) किशोर/संदिग्ध अभियुक्त की नियमानुसार उम्र निर्धारण संबंधी कार्यवाही करने का अनुरोध करेगा।

6. संबंधित पुलिस/अनुसंधान अधिकारी, किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के प्रथम बार संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में अभियुक्त के अभिभावक अथवा नजदीकी रिश्तेदार को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने की दिनांक, समय इत्यादि से अवगत करायेगा। साथ ही संबंधित परिविक्षा अधिकारी को विधि से संघर्षरत किशोर के संबंध में सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु सूचित किया जायेगा।

7. विधि से संघर्षरत/पीडित बच्चों/देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के समस्त प्रकरणों में बच्चों के उम्र निर्धारण के संबंध में राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 12 की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

8. राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 11(2) के अनुसार पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत किशोर को उन्हीं गम्भीर प्रकरणों में निरूद्ध किया जायेगा, जिन अपराधों में 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराध जिसके लिए 7 वर्ष से कम सज़ा का प्रावधान है, में शामिल किशोर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जायेगी ना ही उसे निरूद्ध किया जायेगा। किन्हीं व्यस्क अभियुक्तों के साथ किशोर की संलिप्तता होने पर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायेगी।

9. 7 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों में किशोर के सम्मिलित होने की स्थिति में किशोर द्वारा किये गये विधि उल्लंघन के संबंध में विस्तृत घटना रिपोर्ट मय उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि विवरण संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी

तथा किशोर एवं उसके परिजनों को बोर्ड द्वारा मामले हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

10. संबंधित पुलिस/बाल कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदिग्ध अभियुक्त के अवयस्क (विधि से संघर्षरत किशोर) होने की संभावना है, उसको वयस्क संदिग्ध अभियुक्त के अनुरूप नहीं देखा जायेगा।

11. राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 11 (8) के कम में छोटे अपराध में लिप्त किशोर के हित को ध्यान में रखते हुए उसे विधि से संघर्षरत किशोर मानने के स्थान पर उसे देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा मानने के अनुरोध के साथ संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

12. यदि कोई व्यक्ति, संबंधित पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त अथवा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सम्पर्क करता है कि संदिग्ध अभियुक्त अवयस्क (विधि से संघर्षरत बालक) है इस संबंध में 24 घण्टे के अन्दर आवश्यक जांच सुनिश्चित की जायेगी। यदि संदिग्ध अभियुक्त के अवयस्क होने के प्रमाण प्राप्त होते है, तो प्रकरण में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करते हुए संबंधित पुलिस/अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। संबंधित जांच/अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में बरती गई लापरवाही के संबंध में संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को भी अवगत कराया जायेगा।

13. विधि से संघर्षरत किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के अवयस्क होने की स्थिति में उसके साथ किसी भी प्रकार की पुलिस प्रताडना/दुर्व्यवहार किया गया है, तो तत्काल संदिग्ध अभियुक्त के बयान दर्ज कर रोजनामचे में शिकायत दर्ज की जायेगी। इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त (अध्यक्ष, विशेष किशोर पुलिस इकाई) को प्रेषित किया जायेगा।

14. विधि से संघर्षरत किशोर से उसके घर/सम्प्रेक्षण गृह या कोई अन्य उपयुक्त स्थान पर ही पूछताछ की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में थाने पर पूछताछ नहीं की जायेगी।

15. विधि से संघर्षरत किशोर के बारे में किसी प्रकार की सूचना अपराधियों के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जायेगी, ना तो सूचना प्रपत्र और ना ही सर्च स्लिप तैयार की जायेगी। किशोर के चरित्र प्रमाण– पत्र, सत्यापन एवं सरकारी नौकरी में (पूर्व में किये जाने वाले अपराध संबंधी सूचना में) विधि से संघर्षरत किशोर की सूचना में किशोर द्वारा कारित अपराध का विवरण नहीं दिया जायेगा। विधि से संघर्षरत किशोर का पूर्ण रूप से रिकॉर्ड गोपनीय रखा जायेगा।

16. प्रत्येक पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर सरल एवं स्थानीय भाषा में "18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किये गये अपराध के सभी मामले किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन देखे जायेंगे तथा उन्हें पुलिस स्टेशन के लॉक–अप में नहीं रखा जायेगा ना ही उन्हें जेल भेजा जायेगा" लिखा जायेगा।

17. जिलों में नियुक्त सभी बाल कल्याण अधिकारियों एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, पैरा लीगल वॉलेटियर, परिविक्षा अधिकारी, पंजीकृत बाल गृहों, एन.जी.ओ., जिला बाल संरक्षण इकाई इत्यादि के सम्पर्क विवरण को प्रमुखता से सभी पुलिस स्टेशनों के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया जायेगा।

18. संबंधित पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त द्वारा प्रतिमाह विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक आयोजित कर समस्त थानाधिकारियों/बाल कल्याण अधिकारियों को विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में सावधानियां बरतने, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के संबंध में माननीय न्यायालयों/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित नवीन एवं महत्वपूर्ण आदेशों से अवगत कराया जायेगा।

19. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान विधि से संघर्षरत किशोर/बच्चों से संबंधित मामलों की फाइलों, रजिस्ट्ररों का संधारण एवं निर्धारित प्रपत्रों का इस्तेमाल संबंधी दस्तावेज को निरीक्षण करेंगे और अधिनियम, नियम और निर्देशों के अनुरूप इनका संकलन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

20. इन दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने वाले एवं बालकों के शोषण/उत्पीड़न में लिप्त बाल कल्याण अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों/थानाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं नियम 84 (11) के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2012 के जरिये जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त (अध्यक्ष, विशेष किशोर पुलिस इकाई) इन दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना एवं प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। इसे प्राथमिकता से लागू किया जावे।

(आर0पी0 सिंह)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर, को सूचनार्थ।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेजेज, राजस्थान पुलिस, ...।
5. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, को सूचनार्थ।
6. समस्त जिला कलक्टर/अध्यक्ष/ समस्त प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड /जिला बाल संरक्षण इकाई को सहयोग उपलब्ध कराने हेतु।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त राजस्थान।
9. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति.....।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई/ समस्त किशोर या बाल कल्याण अधिकारी एंव सदस्यगण, विशेष किशोर पुलिस इकाई को पालनार्थ।
11. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर।